न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

(पीठासीन अधिकारी भागवंती जेठवानी, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 310/2016 **दायरा दिनांक : 06.09.2016**

उनवान

रामश्याम उम्र 45 वर्ष पुत्र श्री घासीलाल, जाति मीना, निवासी कोटडी तुलसां, तहसील बारां, जिला बारां

.... अपीलांट

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब बारां, जिला बारां

.... रेस्पोडेंट

उपस्थित – श्री बाबू लाल जैन अभिभाषक अपीलांट की ओर से

पैरोकार सरकार रेस्पोडेंट की ओर से

निर्णय **दिनांक : 04.12.2017**

यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उपखण्ड अधिकारी, बारां के प्रकरण संख्या – 138/2015 निर्णय व डिक्री दिनांक 18.05.2016 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट ने एक दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, 91, 92 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश कर यह कथन किया कि ग्राम बोरदा, तहसील बारां के खसरा नम्बर 385 रकबा 0.62 हेक्टर, खसरा नम्बर 380 रकबा 0.80 हेक्टर कुल 2 किता की 1.42 हेक्टर आराजी स्थित है । आराजी वर्ष 1997 से किस्म बंजड दर्ज है और राजस्व कर्मचारियों ने गलती से इसको बारानी द्वितीय दर्ज कर रखा है । आराजी सन् 1985 से पिछले 30 वर्षों से अधिक समय से वादी के कब्जे में चली आ रही है । प्रतिवर्ष वादी जुर्माना अदा करता है । वादी भूमिहीन है तथा इस भूमि के अलावा अन्य कोई भूमि नहीं है । वादी के पिता के पास 1.62 हेक्टर भूमि है, जो इस भूमि से लगवा है । वादी के पिता के तीन लडके हैं । इस प्रकार वादी के हिस्से में 4 बीघा भूमि आती है । वादी अनुसूचित जनजाति का सदस्य है । प्रतिवादी से कई बार आराजी को नियमन अथवा आवंटन करने की प्रार्थना की है परन्तु कभी भी प्रार्थना पर गौर नहीं किया है । अतः दावा वादी स्वीकार कर वादी को वादग्रस्त आराजी का खातेदार कृषक घोषित किया जाये । अधीनस्थ न्यायालय ने जवाबदावा प्राप्त कर अपने निर्णय दिनांक 18.05.2016 से दावा वादी खारिज किया है, जिससे अप्रसन्न होकर यह अपील पेश की गई है ।

अपील में अपीलांट ने कथन किया है कि वादग्रस्त आराजी के बाबत अधीनस्थ न्यायालय में दावा जैरकार था । तनकीयात कायम की गई थी उसके बाद राजस्व लोक अदालत में निर्णय पारित किया गया है और मुकदमा खारिज किया गया है । कोर्ट कैम्प की कोई सूचना नहीं दी गई है । आराजी की किस्म बंजड थी जिसको आवंटन एवं नियमन करने का प्रावधान है, परन्तु बारानी द्वितीय भूमि का आवंटन नहीं हो सकता है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाये ।

अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 08.08.2016 को हुई । जानकारी की तिथि से अपील अवधि मध्य है । अतः विलम्ब का शमन किया जाये ।

अपील प्राप्त होने पर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । बहस उभयपक्षीय सुनी गई ।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि वादग्रस्त आराजी की किस्म बजंड थी जिसको गलत रूप से बारानी द्वितीय दर्ज किया गया है । आराजी पर 30 वर्ष से अधिक समय से अपीलांट का कब्जा है । अपीलांट भूमिहीन है, अनुसूचित जनजाति का सदस्य है । आराजी अपीलांट को नियमन होने योग्य है । लोक अदालत में गलत रूप से दावा खारिज किया है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाये ।

पैरोकार सरकार ने कथन किया कि सरकारी सिवाय चक आराजी के बाबत वादी का हक घोषणा का दावा मेंटेनेबल नहीं था । अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है । अपील सारहीन होने से खारिज की जाये ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । न्याय हित में धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विलम्ब का शमन किया जाता है ।

वादी ने सरकारी सिवाय चक आराजी के बाबत हक घोषणा का दावा पेश किया है । यह हक घोषणा का दावा कब्जे के आधार पर पेश किया है । यदि वादग्रस्त आराजी के लिए वादी स्वयं को आवंटन या नियमन का पात्र समझता है तो वह आवंटन सलाहकार समिति के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सकता है और आवंटन सलाहकार समिति उनकी प्रार्थना पर विधिक कार्यवाही कर सकती है, परन्तु सरकारी सिवाय चक आराजी के बाबत कब्जे के आधार पर हक घोषणा का दावा पेश नहीं किया जा सकता है । इस प्रकार वादी का दावा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम मेंटेनेबल नहीं है । अधीनस्थ न्यायालय ने विधि सम्मत रूप से दावा वादी खारिज किया है ।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 18.05.2016 यथावत रखा जाता है ।

निर्णय आज दिनांक 04.12.2017 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(भागवंती जेठवानी)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा